



# व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र) BOARD OF PRACTICAL TRAINING (EASTERN REGION)

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग के अधीन  
UNDER MINISTRY OF EDUCATION, GOVT. OF INDIA, DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION



सशक्त युवा, समर्थ भारत  
www.mhrdnats.gov.in

बीओपीटी/डीटी/2023-24/

13.04.2023

सेवा में,

सभी उद्योग/स्थापना/टीपीए भागीदार

विषय: बीओपीटी या उसके किसी अधिकारी के नाम पर वित्तीय या किसी अन्य सहायता की मांग।

महोदय/महोदया,

सबसे पहले, मैं वर्ष 2022-23 में प्रशिक्षुओं को शामिल करके एनएटीएस में उनकी सक्रिय भागीदारी और योगदान के लिए स्थापना और टीपीए समूह को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। वर्ष 2022-23 हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण वर्ष था क्योंकि प्रशिक्षु अधिनियम 2014 और 2019 के कार्यान्वयन का लक्ष्य बहुत अधिक था और इस विशाल लक्ष्य हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास किया। इसने अपेक्षित क्षमता रखने वाली और समर्थन के लिए न्यूनतम बेंचमार्क मानकों को पूरा करने वाली एजेंसियों/संगठनों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। इसलिए, थर्ड पार्टी एग्रीगेटर्स (टीपीए) को आमंत्रित किया गया था और अपेक्षित क्षमता वाले उनमें से कुछ को टीपीए के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। परिणामस्वरूप, भारत के पूर्वी क्षेत्रीय राज्यों में लगभग 100 से अधिक स्थापनाओं ने पिछले वर्ष (वित्त वर्ष 2022-23) के दौरान टीपीए के समर्थन से एनएटीएस लागू किया है।

अब, बीओपीटी (ईआर) के लिए स्थापनाओं के साथ सीधा संचार/संपर्क प्रणाली स्थापित करना महत्वपूर्ण हो गया है, जिसका लक्ष्य स्पष्टता और बेहतर विश्वास स्तर के साथ सीधा संचार स्थापित करना है।

इस प्रक्रिया में, क्षेत्रीय केंद्रीय प्रशिक्षुता सलाहकार, बीओपीटी (ईआर), कोलकाता के संज्ञान में यह आया है कि कुछ टीपीए इस प्रक्रिया में उद्योग/ स्थापनाओं और छात्रों के साथ बातचीत करते समय उनसे बीओपीटी के अधिकारियों का नाम लेते हुए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ की मांग करते हैं। इसमें बीओपीटी या उसके किसी अधिकारी के नाम पर वित्तीय मांगें शामिल हैं।

उपरोक्त मामले को प्राधिकारी द्वारा गंभीरता से लिया गया है तथा इसे आप सभी के संज्ञान में लाना आवश्यक हो गया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बीओपीटी या उसका कोई भी अधिकारी एनएटीएस के कार्यान्वयन और निगरानी से संबंधित हितधारकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए किसी भी प्रकार के अनुग्रह की मांग नहीं करता है। इसलिए, आपसे अनुरोध है कि यदि आप ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं, तो कृपया इसे लिखित संचार के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के ध्यान में लाएं, अधिमानतः ई-मेल के माध्यम से [director@bopter.gov.in] पर तुरंत ताकि उचित कार्रवाई की जा सके। इस बोर्ड की पारदर्शिता और सद्भावना को बरकरार रखने के लिए ऐसे व्यक्ति(व्यक्तियों) या संगठन(ओं) के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

धन्यवाद,

आपका विश्वासी,

हस्ता /-

(एस.एम.एजाज़ अहमद)

निदेशक



एक कदम स्वच्छता की ओर

ब्लॉक - ईए, सेक्टर -1 (लाबोनी संपदा के विपरीत), साल्ट लेक सिटी, कोलकाता - 700 064, दूरभाष /Phone - (033) 2337-0750/51, फैक्स /Fax - (033) 2321-6814  
Block - EA, Sector - I (Opposite. Labony Estate), Salt Lake City, Kolkata - 700 064, ई-मेल / E-mail - inf@bopter.gov.in, वेबसाइट / website - www.bopter.gov.in

Download Mobile App

